तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
28/10	आज यह पत्रावली पेश हुयी। पेशकार सरकार उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया तथा पेशकार सरकार को सुना गया। पत्रावली मे दिनांक 25/8/22 को प्रस्तुत तहसीलदार बहरोड की रिपोर्ट दिनांक 18/8/2022 का अध्ययन किया। तहसीलदार बहरोड ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रकरण में तहसीलदार बहरोड V/S उदमीराम तरफ गंगाबिशन में नियम के ख० न० 444 रकबा 0.61 धारा 177 के तहत कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण उक्त खसरा नम्बर 444 रकबा 0.61 है। मौके पर घास (चारा) उग रहा है एवं फसल वर्तमान में नही है। उक्त खसरा नम्बर 444 रकबा 0.61 पर किसी भी प्रकार का प्लाटिंग हस्तांतरण नही हो रही है एवं उक्त खसरा न० पर कृषि का कार्य किया जा रहा है।
	यह प्रकरण अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्त तहसीलदार-बहरोड के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार बहरोड की रिपोर्ट दिनांक 18/8/2022 के द्वारा उक्त ख० न० 444 पर कृषि कार्य होना पाया जाता है। जिस सूरत में कार्यवाही अन्तर्गत धारा 177 राज. काश्तकारी अधि० 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नही है।
	अतः तहसीलदार बहरोड़ की रिपोर्ट दिनांक 18/8/2022 के आधार पर कार्यवाही बाबत ख० न० 444 रकबा 0.61 वाके ग्राम बहरोड़ तरफ गंगाबिशन ड्रोप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर) राज०